न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
135 / 2021 / प्रार्थना पत्र	2021 / 174	22.06.2021	09.09.2025

अनवान

1–4 छोटू, भंवरलाल, लालाराम, निम्बुड़ा पिता देबीलाल कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1–3 लादू, नारायण, शैतान पिता उदा कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– सोहनी पत्नी उदा कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5–6 दुर्गा, रामनाथ पिता काना कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– लीला देवी पत्नी राम निवास कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8–9 रामनिवास, कालू पिता देबीलाल कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
10–11 जगदीश, दुर्गा देवी पिता नारायण कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
12– लालीदेवी पत्नी देबीलाल कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
13–14 मगनलाल, महावीर पिता नारायण कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
15–17 मया, लाड, लादी पिता देबीलाल कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
18– हीरा बाई पत्नी नारायण कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
19– शाखा प्रबंधक एच0डी0एफ0एसी0 बैंक लि0 शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
20– राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति – श्री गोविन्द सिंह हाड़ा –अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री योगेन्द्र सिंह भाटी –अभिभाषक विपक्षीगण 7, 8
विपक्षीगण संख्या 1 से 6, 8 से 19 –एतरफा कार्यवाही
राज्य पक्ष –परोकार सरकार

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 21.06.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र शाहपुरा तहसील शाहपुरा स्थित खाता संख्या 1851 खसरान 8783 किता 1 कुल रकबा 0.51 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण 8 लगायत 18 के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की आराजियात के दक्षिणी पश्चिम दिशा में विपक्षीगण सं. 1 लगायत 7 की कृषि आराजियात आराजी संख्या 8789 है। एवं आराजी संख्या 8782 स्थित है जो विपक्षी संख्या 7 के खातेदारी की है। आराजी संख्या 8789, 8782 के अड़वा पश्चिमी दिशा में रेकार्डेड रास्ता 8841 (शाहपुरा से बेगु जाने वाली मुख्य सड़क) है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि को उपयोग उपभोग में लेने के लिए आराजी सख्या 8782, 8789 से होते हुए रेकार्डेड रास्ता 8441 पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 8 लगायत 18 वर्षो से रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 8 लगायत 18 के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। आराजी संख्या 8789, 8782 विपक्षी संख्या 7 के खातेदारी की है जो कि विपक्षी संख्या 8 की पत्नी है। एवं विपक्षी संख्या 7 व 8 वर्तमान में पक्का निर्माण कर रहे है। पक्का निर्माण प्रार्थीगण द्वारा उपयोग

में लिये जा रहे रास्ते मे कर रहे है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजियात 8783 में आने जाने से पूर्ण रूप से वंचित हो जायेगें। इसी कारण प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की खातेदारी की आराजियात 8782, 8789 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण खातेदारी की आराजियात में आने जाने का एक मात्र रास्ता है, अत्यांतिक आवश्यक है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण वर्षों से उक्त रास्ते पर होते हुए बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, व कृषि उपकरण लाते ले जाते रहे है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात पर आने जाने का एकमात्र रास्ता बंद करने की नियत से विपक्षीगण सं7 द्वारा पक्का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि को काश्त नहीं कर सके है जिससे प्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। एवं भविष्य में भी उठाना पड़ेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण की अराजी 8782, 8789 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने की कृपा करावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें रेकार्ड पर लिया गया। तदोपरान्त विपक्षीगण संख्या 7, 8 द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री राजेश वर्मा, श्री विवेक दाधीच के उपस्थिति दी जाकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। शेष विपक्षीगण संख्या 1 से 6, 9 से 19 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होन से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार शाहपुरा उपस्थित हुए।

विपक्षीगण संख्या 07, 08 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का अपनी आराजी संख्या 8783 पर आने जाने हेतु आराजी संख्या 8782, 8789 भूमि में से रास्ते का उपयोग करते चले आने कथन पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। क्योंकि आराजी नम्बर 8783 में आने जाने हेतु दो रास्ते मौके पर मौजूद है। कस्बा शाहपुरा से शाहपुरा–बेगू रोड़ से होते हुए आराजी संख्या 10842/8781 की दक्षिणी मेर से होते हुए आराजी नम्बर 8780 की उत्तरी मेर से होते हुए आराजी नम्बर 8778 स्थित कुए के पास होते हुए आराजी नम्बर 8783 में आने जाने हेतु रास्ता मौजूद है। दूसरा रास्ता बेगू रोड़ से आराजी नम्बर 8792, 8793, 8794 के दक्षिण ओर स्थित आराजी नम्बर 8799 जो कि बिलानाम है, से होते हुए आराजी नम्बर 8785, 8784 जो बिलानाम है, में से होते हुए आराजी नम्बर 8783 में प्रवेश करते है। दोनों ही रास्ते मौके पर मौजूद होकर प्रार्थीगण इन्हीं रास्तों का उपयोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण विपक्षीगण जवाबदाता से रंजिश रखते है। उत्तरदाता को नुकसान पहुंचाने के लिए रास्ते की मांग कर रहे है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। खसरा नम्बर 8782, 8783 में पक्की दीवार बनी हुई है। श्री रामनिवास पिता देबीलाल को विपक्षी संख्या 8 के रूप में अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है, जिससे भी यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। आराजी नम्बर 8782 में पक्की दीवार का निर्माण सन् 2020 में ही करवा दिया था एवं आराजी नम्बर 8782 में 306.69 वर्ग मीटर का व्यवसायिक रूपान्तरण करवाया जाकर पक्के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। भूमि की किस्म परिवर्तित हो जाने से भी न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी नम्बर 8782, 8789 में प्रार्थीगण के जाने जाने हेतु किसी प्रकार का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण उत्तरदाता द्वारा बताये गये वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

विपक्षी संख्या 7 द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उभयपक्षों को सुना गया। गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने बाबत अस्वीकार किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त नवीन रास्ता कायम बाबत मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थीगण को मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी में से नवीन रास्ता मांगने के हकदार होकर अन्य कोई निकटतम रास्ते का विकल्प उपलब्ध नहीं है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि विपक्षीगण रामनिवास पिता देबीला व सोना देवी पत्नी रामनिवास खसरा नम्बर 8782 में से रास्ते के उपयोग में आने वाले भू–भाग के बदले डी.एल.सी. दर नहीं लेकर निकटतम खसरा नम्बर 8783 में से उतना ही भू–भाग लेने पर सहमति जताई है। तहसीलदार द्वारा ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा स्थित विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 07 की कृषि आराजियात 8782 में से 0.0060 हैक्टेयर (65.6 फीट गुणा 10 फीट/656 वर्ग फीट) एवं विपक्षीगण सं0 7 की आराजी 8789 में से 0.0060 हैक्टेयर (65.6 फीट गुणा 10 फीट/656 वर्ग फीट) कुल 0.012 हैक्टेयर भूमि नवीन रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है।

उभयपक्षों को नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:–

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :– प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। जवाबदाता ने अपने जवाब में बतौर वैकल्पिक मार्ग जवाब में जिक्र अनुसार कस्बा शाहपुरा से शाहपुरा–बेगू रोड़ से होते हुए आराजी संख्या 10842/8781 की दक्षिणी मेर से होते हुए आराजी नम्बर 8780 की उत्तरी मेर से होते हुए आराजी नम्बर 8778 स्थित कुए के पास होते हुए आराजी नम्बर 8783 में आने जाने हेतु रास्ता मौजूद होना एवं दूसरा रास्ता बेगू रोड़ से आराजी नम्बर 8792, 8793, 8794 के दक्षिण ओर स्थित आराजी नम्बर 8799 जो कि बिलानाम है, से होते हुए आराजी नम्बर 8785, 8784 जो बिलानाम है, में से होते हुए आराजी नम्बर 8783 में प्रवेश करना बताया है। लेकिन प्रार्थीगण के लिए सबसे निकटतम/सुगतम मार्ग प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व नक्शा के अवलोकन से सिद्ध हुआ है।
2. तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना, एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम होकर अन्ये निकटतम रास्ते का विकल्प नहीं होना बताया है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी 8783 पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता के अभाव है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निर्बाध अवागमन के लिए निकटतम/सुगमतम रास्ता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

प्रकरण में विपक्षीगण संख्या 7, 8 द्वारा अपनी खातेदारी की आराजियात में रास्ते हेतु भूमि के बदले डी.एल.सी. दर से भूमि की मालियत अनुसार दुगना राशि नहीं लेकर रास्ते हेतु उपयोग में वाली जितनी ही भूमि प्रार्थीगण की आराजियात में से चाही गयी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते हेतु भूमि के एवज में किसान द्वारा भूमि चाहे जाने पर भूमि दिये जाने का प्रावधान है। अतः विपक्षीगण की असुविधा एवं उन्हें होने वाली क्षति को देखते हुए न्यायालय रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाना उचित समझता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि :–

1. वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र शहापुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 07 की खातेदारी आराजी संख्या 8789 रकबा 0.52 हैक्टेयर में से 0.0060 हैक्टेयर(65.6 फीट गुणा 10 फीट/656 वर्ग फीट) भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में से कम की जाकर मुताबिक नक्शा ट्रेस नवीन मार्ग(सार्वजनिक उपयोग हेतु) कायम किया जाकर नक्शे में तरमीम कर उक्त रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी

भूमि आराजी 8789 के सटवा स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 8783 में से उतनी ही भूमि 0.0060 हैक्टेयर(65.6 फीट गुणा 10 फीट/656 वर्ग फीट) कम की जाकर विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 के खातेदारी में दर्ज कर नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है।

2. वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र शहापुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण संख्या 07 की खातेदारी आराजी संख्या 8782 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 0.0060 हैक्टेयर(65.6 फीट गुणा 10 फीट/656 वर्ग फीट) भूमि विपक्षीगण की खातेदारी में से कम की जाकर मुताबिक नक्शा ट्रेस नवीन मार्ग(सार्वजनिक उपयोग हेतु) कायम किया जाकर नक्शे में तरमीम कर उक्त रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण संख्या 7 की खातेदारी भूमि आराजी 8782 के सटवा स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 8783 में से उतनी ही भूमि 0.0060 हैक्टेयर(65.6 फीट गुणा 10 फीट/656 वर्ग फीट) कम की जाकर विपक्षीगण संख्या 7 के खातेदारी में दर्ज कर नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो। **आदेश आज दिनांक 09.09.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।**

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा